न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः 75/2022/आवेदन 136 एलआरएक्ट
भंवर लाल पुत्र भैरूराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जालूण्ड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रार्थी

ब ना म

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

आवदेन अन्तर्गत धारा 136
लैण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत दुरूस्ती

उपस्थिति–
1. श्री राजेन्द्र जाट वकील प्रार्थी की ओर से।

नि र्ण य

दिनांक– 28.11.2022

1 आवदेन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियॉ ख.नं. 223 ता 227 कुल किता 5 कुल रकबा 5.5400 हैक्टेयर प्रार्थी के पिता भैरूराम का हक, हिस्सा 1/4 एवं कृषि भूमियॉ ख.नं. 405, 414, 416 ता 424, 424/1047, 429, 430, 432, 490, 491 कुल किता 17 कुल रकबा 4.6900 हैक्टेयर में प्रार्थी के पिता भैरूराम का हक, हिस्सा 1/2 ग्राम जालूण्ड पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमियों में प्रार्थी के पिता भैरूराम का हक, हिस्सा कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा चला आ रहा है जो कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में सहवन से भैरिया पुत्र चन्द्रा के नाम से दर्ज है। प्रार्थी के पिता भैरूराम का स्वर्गवास वर्ष 2017 में हो चुका है। प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम भैरूराम है जबकि उक्त भूमियों की खातेदारी में गलत रूप से भैरिया पुत्र चन्द्रा दर्ज हो रखा है जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित भूमियों में अपने पिता के हक, हिस्से पर काबिज, काश्त है। प्रार्थी के पिता के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, पेंशन रिकार्ड, ग्राम पंचायत मगनपुरा के पहचान पत्र एवं अन्य रिकार्ड में प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

पिता का सही नाम भैरूराम पुत्र चन्द्रा ही दर्ज है जो सही है। परन्तु प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम गलत रूप से भैरिया पुत्र चन्द्रा दर्ज है जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है व प्रार्थी को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज होने से इन भूमियों के सम्बध में प्रार्थी को अब कोई न कोई राजकीय सहायता, अनुदान प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है वह भूमियों का विकास भी नहीं करवा पा रहा है। इसलिए प्रार्थी को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन माननीय न्यायालय में पेश कर रिकार्ड की दुरूस्ती करवाया जाना आवश्यक हुआ है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 223 ता 227 कुल किता 5 कुल रकबा 5.5400 है0 एवं कृषि भूमियॉ ख. नं. 405, 414, 416 ता 424, 424/1047, 429, 430, 432, 490, 491 कुल किता 17 कुल रकबा 4.6900 है0 ग्राम जालूण्ड पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम भैरिया पुत्र चन्द्रा के स्थान पर प्रार्थी के पिता का नाम भैरूराम पुत्र चन्द्राराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम भैरिया पुत्र चन्द्रा के स्थान पर प्रार्थी के पिता का नाम भैरूराम पुत्र चन्द्राराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है रिपोर्ट पटवारी कैलाश अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2076–79 में ख.नं. 405, 414, 417 से 424, 424/1047, 429, 430, 432, 490, 491 कुल किता 17 में प्रार्थी के पिता का नाम भैरिया पुत्र चन्द्रा हि. 1/2 जाति ब्राहम्ण राहिन S.B.I. शाखा खाटू तथा इसी ग्राम के ख.नं. 223 से 227 में भी भैरिया पुत्र चन्द्रा हि. 1/4 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, सरपंच का प्रमाण पत्र, राशनकार्ड आदि में प्रार्थी के पिता का नाम भैरूराम पुत्र चन्द्राराम दर्ज है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पहचान पत्र में उनका नाम भैरूराम उर्फ भैरिया पुत्र चन्द्राराम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम भैरूराम उर्फ भैरिया पुत्र चन्द्राराम किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। **अतः प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 223 ता 227 कुल किता 5 कुल रकबा 5.5400 है0 एवं कृषि भूमियॉ ख.नं. 405, 414, 416 ता 424, 424/1047, 429, 430, 432, 490, 491 कुल किता 17 कुल रकबा 4.6900 है0 ग्राम जालूण्ड पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम भैरिया पुत्र चन्द्रा के स्थान पर प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम भैरूराम उर्फ भैरिया पुत्र चन्द्राराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/22

(प्रतिभा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़